कार्यालय : जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा, पौड़ी

पत्रांक : जि0प0का0 / 1991 / प्रति0नि0–लेखाकार / विज्ञापन / 2022–23 दिनांक 2 नवम्बर 2022

सेवामें,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
देहरादून।

विषय : **जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, पौड़ी में रिक्त लेखाकार के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप व अन्य निर्देश / शर्तें विभागीय वैबसाईट–www.schooleducation.uk.gov.inपर अपलोड करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या : रा0प0का0 / 1055 / प्रशा0व्यक्ति0 / 2022–23 दिनांक 27 अगस्त 2022 के अनुपालन में शासनादेश संख्या : 197/XXIV-A-2/2020/149/2017 दिनांक 28 अक्टूबर 2020 के द्वारा जनपद स्तर पर लेखाकार के (प्रतिनियुक्ति के आधार पर–01 पद) पद सृजित किया गया है। जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, पौड़ी में रिक्त लेखाकार के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप व अन्य निर्देश / शर्तें (संलग्नानुसार) विभागीय वैबसाईट–www.schooleducation.uk.gov.inपर अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्नकः उक्तानुसार।

भवदीय
2-11-22
(डा०आनन्द भारद्वाज)
मुख्य शिक्षा अधिकारी /
जिला परियोजना अधिकारी
समग्र शिक्षा, पौड़ी।

कार्यालय : जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा, पौड़ी गढ़वाल।

विज्ञप्ति संख्या : **दिनांक**

विज्ञप्ति

जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, पौड़ी में रिक्त लेखाकार वेतनमान (35400–112400, लेवल–6) (01 पद) पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनाती हेतु विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत लेवल–06 में कार्यरत अभिकर्मियों से निम्नानुसार आवेदम आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र॰ स॰	पदनाम एवं वेतनमान	पदों की संख्या	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव
1	लेखाकार, वेतनमान (35400–112400, लेवल–6)	01	50 वर्ष	विद्यालयी शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत लेवल–06 में कार्यरत ऐसे कार्मिक, जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि अथवा बी0बी0ए0 **(Bachelor in Business Administration)** अथवा पोस्ट ग्रेजुएट इन एकाउण्टेन्सी तथा हिन्दी टंकण में 4000 की–डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति होनी चाहिए। अधिमानी अर्हता–सर्व शिक्षा अभियान अथवा अन्य किसी परियोजना के अन्तर्गत लेखा–लिपिक अथवा लेखाकार के पद पर न्यूनतम 02 वर्षों का अनुभव।

आवेदन पत्र का प्रारूप व अन्य निर्देश/शर्तें विभागीय वैबसाईट– **www.schooleducation.uk.gov.in** पर उपलब्ध है। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 18 नवम्बर 2022 तक पंजीकृत डाक के माध्यम से कार्यालय जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा, पौड़ी गढ़वाल पिन– 246001 में जमा किये जा सकेंगे। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2-11-22

(डा०आनन्द भारद्वाज)
मुख्य शिक्षा अधिकारी/
जिला परियोजना अधिकारी
समग्र शिक्षा, पौड़ी।

पृ0सं0 : जि0प0का0/ 1989-90 /विज्ञापन(ले0प्रति0)/2022–23 दिनांक 02 नवम्बर 2022

प्रतिलिपि : सम्पादक, अमर उजाला/हिन्दुस्तान समाचार पत्र को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के प्रादेशिक पृष्ठ में न्यूनतम कॉलम में शासकीय दरों में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

2-11-22

मुख्य शिक्षा अधिकारी/
जिला परियोजना अधिकारी
समग्र शिक्षा, पौड़ी।

कार्यालय : जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा, पौड़ी

जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, पौड़ी में रिक्त लेखाकार वेतनमान (35400—112400, लेवल—6) (01 पद) पर प्रतिनियुक्ति हेतु

आवेदन का प्रारूप

स्वहस्ताक्षरित / सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटो

1—नाम...

2—पिता का नाम...

3—पद नाम...

4—जन्म तिथि.......................................(01.09.2022 को आयु)वर्ष...................माह...................दिन.......................

5—विद्यालयी शिक्षा विभाग में प्रथम नियुक्ति तिथि.......................................पदनाम.......................

6—वर्तमान कार्यरत कार्यालय / विद्यालय कानाम.......................................पदनाम................जनपद.......................

7—मो.न. / वाहट्सप न0...ई—मेल आईडी...

सेवा अनुभव का विवरण—

संस्था / कार्यालय का नाम	पदनाम	अवधि		अन्य
		दिनांक से	दिनांक तक	

शैक्षिक / प्रशिक्षण योग्यता—

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	वर्ष	श्रेणी	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत्	अन्य

अभ्यर्थियों हेतु सामान्य निर्देश व शर्तें

1. आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक / प्रशिक्षण / अनुभव प्रमाण—पत्रों को स्व. प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जानी आवश्यक होगी। आवेदन पत्र कार्यालयध्यक्ष से अग्रसारित होना आवश्यक है।
2. आवेदन पत्र के साथ विगत 02 वर्षों में प्रतिकूल प्रविष्टि न मिलने व किसी भी मा. न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन न होने, अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन न होने / संसूचित न होने का घोषणा पत्र स्वहस्ताक्षरित व सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित होना आवश्यक है।
3. लेखाकार के पद पर चयन होने की दशा में विभाग से प्रतिनियुक्ति पर तैनाती हेतु अनापति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा। अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत न करने की दशा में चयन निरस्त कर दिया जायेगा।
4. उक्त प्रतिनियुक्ति अधिकतम 03 वर्ष अथवा समग्र शिक्षा परियोजना अवधि तक जो भी पहले हो तक के लिए मान्य होगी। इसके उपरान्त प्रतिनियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
5. अभ्यर्थी को परियोजना में प्रतिनियुक्ति का निर्धारण अभ्यर्थी के कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर किया जायेगा। प्रतिनियुक्ति को किसी भी समय समाप्त करने का पूर्ण अधिकार राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड / जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा, पौड़ी के पास सुरक्षित रहेगा।
6. लेखाकार के पद पर प्रतिनियुक्ति होने पर अभ्यर्थी को विभाग में प्राप्त वेतन व भत्तों के अतिरिक्त पृथक से कोई अन्य वित्तीय लाभ व भत्ते देय नहीं होगें।
7. समग्र शिक्षा में प्रतिनियुक्ति पर तैनाती की दशा में अभ्यर्थी का धारणाधिकार अपने मूल विभाग (विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड) में सुरक्षित रहेगा।
8. लेखाकार के पद हेतु अर्ह अभ्यर्थी को साक्षात्कार एवं प्रमाण—पत्रों की जांच व हिन्दी टंकण में की—डिप्रेशन जांच हेतु उनके दूरभाष नं. पर पृथक से सूचित किया जायेगा। जिस हेतु उन्हें पृथक से किसी प्रकार का टी.ए. एवं डी.ए. देय नहीं होगा।
9. उपरोक्त दिये गये शर्तों को मेरे द्वारा भलि—भांति पढ़ लिया गया है, इससे मैं सहमत हूं।

हस्ताक्षर अभ्यर्थी

नाम—

पदनाम—

पता—

मो.ना.—